संख्या– 75/सू0लो0स0/52 सूचना/2002

प्रेषक,

श्री एन0एन0 प्रसाद,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना निदेशालय,
देहरादून।

सूचना अनुभाग - देहरादून : दिनॉक 16 दिसम्बर 2002

विषय :– उत्तरांचल में आपदाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों के लिये उत्तरांचल पत्रकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता की नियमावली का प्रख्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1443/सू0एवं लो0स0वि0/प्रैस/2002 दिनॉक 01 अगस्त, 2002 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल में आपदाग्रस्त पत्रकारों और उनके आश्रितों को संलग्न आपदाग्रस्त पत्रकारों/आश्रितों के लिये उत्तरांचल राज्य कल्याण कोष से वित्तीय सहायता दिये जाने से सम्बन्धित नियमावली को प्रख्यापित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– कृपया संलग्न नियमावली की व्यवस्थाओं के अधीन उत्तरांचल पत्रकार कल्याण कोष के गठन एवं इस कोष के अंतर्गत पत्रकारों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित् कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

16.12.02

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

पृ0प0सं0– /सू0लो0स0/53 सूचना/2002,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि नियमावली की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी ।
2– निजी सचिव, माननीय सूचना मंत्री जी को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6– समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तरांचल।
7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया संलग्नक नियमावली को परिशिष्टों सहित सरकारी गजट, असाधारण विधायी परिशिष्ठ, भाग–4, खण्ड–ख में दिनॉक 30 दिसम्बर, 2002 प्रकाशित करने एवं उसकी 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

आज्ञा से,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

आपदाग्रस्त पत्रकारों/आश्रितों के लिए उत्तरांचल पत्रकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता के लिए नियमावली ।

1. इन नियमों को आपदाग्रस्त पत्रकारों/आश्रितों के लिए उत्तरांचल राज्य कल्याण कोष से वित्तीय सहायता के नियम कहा जायेगा।
2. ये नियम आपदाग्रस्त पत्रकारों और उनके आश्रितों के लिए लागू होंगे।
3. ये नियम दिसम्बर 2002 से प्रभावी होगे।
4. (1) मृत पत्रकारों के आश्रितों को वित्तीय सहायता निम्न प्राथमिकता के कम में दी जायेगी:–
   (अ) विधवा ।
   (ब) 28 वर्ष से कम आयु का बेरोजगार पुत्र ।
   (स) अविवाहिता और बेरोजगार पुत्री ।
   (द) पिता ।
   (य) माता ।
   (र) मानसिक रूप से अल्प विकसित पुत्र/पुत्री।
   एक समय में एक ही व्यक्ति को सहायता दी जायेगी।
   (2) जीवित आपदाग्रस्त पत्रकारों को निम्न प्राथमिकता के कम में वित्तीय सहायता दी जायगी:–
   (अ) ऐसे पत्रकार जो अस्वस्थता के कारण बेरोजगार है।
   (ब) ऐसे पत्रकार जो अधिक आयु के कारण बेरोजगार है।
   (स) अन्य मानवीय आधार ।
5. इन नियमों के उद्देश्य हेतु शब्द "पत्रकार" का अर्थ ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी मुख्य वृत्ति पत्रकारिता थी या है।
6. पत्रकार पत्रकारिता के पेशे में कम से कम 10 वर्ष से हो।
7. इन नियमों के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता 250 रुपये से 400 रुपये प्रति माह या एक मुश्त धनराशि होगी। जो 20,000 रुपये से अधिक न हो। विशेष मामलों में कारणों का उल्लेख करते हुए, नियम 13 में गठित समिति इस सीमा को बढ़ा भी सकती है।
8. मासिक सहायता केवल उन पत्रकारों को दी जायेगी, जिन्होंने कोष में पांच वर्ष तक अभिदान किया हो।
9. नियम 4, 11 अ,ब,स के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति वित्तीय सहायता का पात्र न होगा जिसकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक हो।
10. इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता का भुगतान किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा पत्रकारों के लिए उत्तरांचल राज्य कल्याण कोष पर मिलने वाले ब्याज से किया जायेगा।
11. आपदाग्रस्त पत्रकारों के आश्रितों के लिए उत्तरांचल पत्रकार कल्याण कोष का सृजन सरकार द्वारा प्रदत्त अभिदान एवं विभाग द्वारा जारी विज्ञापन बीजकों से क्रमशः सा. समाचार पत्रों से 1 प्रतिशत, छोटे मझौले/दै0 समाचार पत्रों से 2 प्रतिशत, क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों से 5 प्रतिशत, राष्ट्रीय दै0 समाचार पत्रों से 8 प्रतिशत तथा विज्ञापन एजेन्सियों से 5 प्रतिशत की कटौती के अभिदान से किया जायेगा।

12. स्वीकृत वित्तीय सहायता यह पता चलने पर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है कि स्वीकृति गलत आधार पर दी गई थी या लाभार्थी की वित्तीय दशा में सुधार हो गया है वित्तीय सहायता जालसाजी से प्राप्त की गई है। जालसाजी साबित होने पर समिति कानूनी कार्यवाही करने में सक्षम होगी।

13. कोष का प्रबंध एक समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके निम्न सदस्य होंगे।
   (अ) मा0 मंत्री सूचना विभाग– अध्यक्ष पदेन
   (ब) सचिव, सूचना/महानिदेशक, सूचना–उपाध्यक्ष पदेन
   (स) प्रेस काउन्सिल द्वारा अधिकृत पत्रकार संगठनों के राज्य स्तरीय अध्यक्ष या मंत्री ।
   (द) समाचार एजेन्सी तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया के पूर्णकालिक एक–एक प्रतिनिधि ।
   (य) अधिशासी निदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग (सदस्य सचिव) पदेन
   (र) पत्रकारिता के पेशे वाले दो विधायक (जिनका आमेलन प्रबंध समिति द्वारा किया जायेगा।)
   (ल) इस समिति में राज्य में कार्यरत स्तरीय साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक/त्रैमासिक (गढ़वाली, कुमाऊंनी) पत्र–पत्रिकाओं से जुड़े पत्रकारों का भी एक–एक प्रतिनिधि शामिल किया जायेगा।

14. इन नियमों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए आवेदन परिशिष्ट (1) में दिए गये प्रारूप में अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा तथा आवेदन के साथ परिशिष्ट (2) में दिये गये प्रारूप में ।
   (अ) अभ्यर्थी के जनपद के जिला मजिस्ट्रेट अथवा
   (ब) प्रेस परिषद भारत सरकार द्वारा पंजीकृत पत्रकार संगठनों के राज्य स्तरीय अध्यक्ष/मंत्री की आख्या संलग्न होनी चाहिये।

15. सभी आवेदन पत्रों की जाँच आपदाग्रस्त पत्रकारों/आश्रितों के लिए उत्तरांचल राज्य कल्याण कोष की प्रबंध समिति द्वारा की जायेगी। समिति पात्रता और अन्य बातों के संबंध में संतुष्ट होने के बाद आवेदन पत्रों पर आदेश पारित करेगी।

16. विशेष मामलों में इन नियमों के अन्तर्गत 5,000 रुपये तक वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए उपाध्यक्ष/सचिव, सूचना/महानिदेशक सक्षम होंगे। ऐसे सभी मामलों को बाद में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

17. यदि वित्तीय सहायता की स्वीकृति के आदेश में इसके प्रभावी होने की तिथि का उल्लेख नही किया गया है तो वित्तीय सहायता उस तिथि से देय होगी जिस तिथि को वित्तीय सहायता की स्वीकृति का आदेश जारी हुआ है।

18. लाभार्थी तीन मास से अधिक के लिए अपने निवास परिवर्तन की सूचना सदस्य सचिव को देगा।

19. जिन विषयों का इन नियमों में स्पष्ट उल्लेख नही है उन पर प्रबंध समिति निर्णय करेगी।

20. समिति अपनी बैठक, कोरम आदि से सम्बन्धित प्रक्रिया एवं नियम स्वंय बनायेगी।

21. अनुदान की प्रक्रिया और " अन्य मानवीय आधार" के अन्तर्गत दिये जाने वाले अनुदान से संबंधित कार्यकारी सिद्धान्त नियम 13 के अन्तर्गत गठित समिति शासन की अनुमति के साथ स्वंय निर्धारित करेगी।

22. उत्तरांचल के मान्यता प्राप्त वर्किंग जर्नलिस्टो को उनके परिवार सहित उत्तरांचल के राजकीय अस्पतालों में किये गये चिकित्सा सम्बन्धी व्यय की प्रतिपूर्ति इसी कोष से की जायेगी। चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये वही नियम लागू होंगे, जो राजकीय कर्मचारियों के मामले में शासन द्वारा व्यवस्था की गई है।

उत्तरांचल राज्य पत्रकार कल्याण कोष से आपदाग्रस्त पत्रकारों/उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता की योजना

परिशिष्ट–I

आवेदन–प्रपत्र

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तरांचल शासन, देहरादून।

1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में).....

.....

2. आयु तथा जन्म–तिथि.....

3. पूरा पता.....

.....

.....

4. जीवित पत्रकारों के सम्बन्ध मे

(अ) अभ्यर्थी द्वारा पत्रकार के रूप में की गयी सेवा का विस्तृत विवरण
(ब) क्या अस्वस्थता के कारण बेरोजगार हैं?
(स) क्या आयु अधिक होने के कारण बेरोजगार है ?
(द) अन्य कोई कारण ?

5. मृत पत्रकारों के परिवारों/आश्रितों के संबंध में
   (अ) दिवंगत पत्रकार का पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान ।
   (ब) अभ्यर्थी का दिवंगत पत्रकार से संबंध–विधुवा/पुत्र/अविवाहिता पुत्री/पिता/माता।
6. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि
   (अ) समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय.....रु. है।
   (ब) परिवार के अन्य सदस्यों की आय (पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री)
   (स) क्या किसी अन्य निधि से भी सहायता ली जा रही है ?
   (द) मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सभी विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है।

परिशिष्ट–II

जिलाधिकारी / प्रेस परिषद भारत सरकार द्वारा पंजीकृत पत्रकार संगठनों के राज्य स्तरीय अध्यक्ष / मंत्री की आख्या

मैंने श्री / श्रीमती.....के आवेदन पत्र में दिये गये तथ्यों की आवश्यक जाँच की है और इस सम्बन्ध में निम्न आख्या प्रस्तुत करता / करती हूँ:–

(क) अभ्यर्थी आपदाग्रस्त पत्रकार / उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत आता है।

(ख) पत्रकार अस्वस्थता / अधिक आयु / अन्य कारणों से बेरोजगार है।

(ग) अभ्यर्थी की आयु (अभ्यर्थी द्वारा जन्म तिथि के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों अथवा अन्य अभिलेखों जिनका स्पष्ट उल्लेख किया जाय के आधार पर सत्यापि .....वर्ष है।

(घ) अभ्यर्थी स्वर्गीय.....
की / का विधवा / पुत्र / अविवाहित पुत्री / पिता / माता है।

(ङ) दावेदार की कुल वार्षिक आय.....है।

(च) दावेदार की अन्य स्त्रोतों से आय.....है।

(छ) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है / नही है।

(ज) अन्य टिप्पणी, यदि कोई हो।

स्थान.....

तिथि.....

हस्ताक्षर,

नाम तथा पता.....

पद तथा कार्यालय की मुहर के साथ